चुनाव प्रक्रिया :
जागरूक मतदाता

जनहित में संयुक्त रूप से प्रकाशित

वालंटरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया (वीहाई)

एवं

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

0453

Community Health Cell
Library and Documentation Unit
BANGALORE

चुनाव प्रक्रिया : जागरूक मतदाता

जनहित में संयुक्त रूप से प्रकाशित

वालंटरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया (वीहाई)
४० इंस्टिट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पीछे,
नई दिल्ली ११० ०१६
एवं
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
एच-१७/१, मालवीय नगर, नई दिल्ली ११० ०१७

POL-100
04538
COMMUNITY HEALTH CELL
LIBRARY AND DOCUMENTATION UNIT
BANGALORE.

प्राक्कथन

भारत का संविधान भारत के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान करता है। यह संवैधानिक अधिकार जन प्रतिनिधि कानून के तहत प्रदान किया गया है। यह बहुत से नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को परिधि में लेता है ताकि लोग मतदान के अपने अधिकार का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें । भारत में मतदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन हमारी चुनाव प्रक्रिया में मौजूद ख़ामियों के कारण बहुत- से मतदाता चुनाव प्रक्रिया में प्रभावशाली रूप से भाग नहीं ले पाते। मतदाताओं के अधिकार के महत्व को समझ कर तथा चुनाव प्रकिया के संबंध में उन्हें जागरूक बनाने की जरूरत महसूस करते हुए, वाणी ने पुस्तिकाएं और पोस्टर प्रकाशित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को कानूनों और नियमों तथा आचार-संहिता की जानकारी प्रदान करना और उन्हें चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए लामबंद करना है। यह पुस्तिका इस दशा में एक पहल है।

इस पुस्तिका में प्रस्तुत सामग्री चुनाव आयोग के प्रकाशन ''मैलेडीज इन इलैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम'' तथा अन्य सामग्री पर आधारित है। वाणी को आशा है कि इसमें मतदाताओं को अपने बुनियादी अधिकारों को समझने में सहायता मिलेगी।

वाणी चुनाव आयोग का आभारी है जिसने स्वयं चुनाव प्रबंध की कमजोरियों

को सामने रखा, जिससे हमें यह पुस्तिका प्रकाशित करने में मदद मिली। इस प्रयास में जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण सुझाव और राय दी, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं।

वाणी के सभी साथियों ने इस पुस्तिका के प्रकाशन को संभव बनाया। पुस्तिका का पाठ वाणी की सुश्री सीमा गायकवाड, अनिल के. सिंह और स्वतंत्र पत्रकार डॉ. यश चौहान ने तैयार किया है।

आलोक मुखोपाध्याय
कार्यकारी निदेशक
वालंटरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया
४० इंस्टिट्यूशनल एरिया,
कुतुब होटल के पीछे
नई दिल्ली ११० ०१६

अनिल कु. सिंह
कार्यकारी सचिव
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
एच-१७/१, मालवीय नगर
नई दिल्ली ११० ०१७

प्रस्तावना

जनतंत्र में मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हीं की समझ, जानकारी और जागरूकता के आधार पर जनतंत्र टिका रहता है। भारत के इतिहास में मतदाताओं ने कई बार साबित किया है कि उन्हें झूठे नारों और वायदों से नहीं बरग़लाया जा सकता और न ही लाठी, गोली के बल पर डराया-धमकाया जा सकता है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार चुनावी प्रक्रिया की ख़ामियों के कारण, मतदाता अपने अधिकारों का उपयोग करने से या तो वंचित रह जाता है या फिर ग़लत हाथों की कठपुतली बन जाता है। पेशेवर राजनीतिज्ञ और निहित स्थर्थ हमेशा इस फ़िराक़ में रहते हैं कि किस तरह चुनाव प्रणाली की ख़ामियों का उपयोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाए। पिछले कई वर्षों में चुनाव प्रणाली की सीमाओं पर काफ़ी बहस हुई है और इस संबंध में तरह-तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। स्वयं एक के बाद एक आए चुनाव आयोग इस संबंध में अपने सुझाव और सिफ़ारिशें प्रस्तुत करते रहे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि चुनाव प्रणाली में सचमुच ऐसी ख़ामियाँ है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इस बार चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक सूची जारी की है जिसमें चुनाव प्रक्रिया की सीमाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ हम इस सूची में प्रस्तुत प्रमुख मसलों पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे।

मतदाता सूची की तैयारी

मतदाता सूचियां निर्धारित तिथि पर तैयार और संशोधित की जाती हैं। इधर हर वर्ष इन सूचियों में संशोधन किया जा रहा है ताकि किसी भी वक्त चुनाव के लिए ताजा मतदाता सूचियां उपलब्ध हो सकें। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए इस तरह संशोधित की गई मतदाता सूची को स्थाई रिकार्ड में रखा जाता है। हालांकि मतदाता सूची की तैयारी चुनाव प्रक्रिया का पहला और प्रमुख कार्य है, पर यह खेद है कि इस प्रक्रिया में ख़ामियां हैं।

०१ मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम का अपर्याप्त प्रचार:

अक्सर यह देखा गया है कि लोगों को मतदाता सूची में संशोधन कार्यक्रम की जानकारी नहीं होती। जिन सरकारी कर्मचारियों या स्कूली शिक्षकों को इस कार्य के लिए अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है वे कई बार घर-घर जाकर जाँच-पड़ताल करने की बजाय पुरानी सूची को ही थोड़ा बहुत संशोधित करके जमा कर देते हैं। जानकारी के अभाव में कई आम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते। वैसे तो निर्वाचन आयोग में जाकर भी नाम दर्ज कराया जा सकता है, पर वहाँ काम करने वाले सरकारी अधिकारियों के असहयोगपूर्ण रवैये तथा अधिक समय लगने के कारण मतदाता अक्सर वहाँ जाने से हिचकिचाते हैं।

०२ नाम दर्ज कराने में मतदाताओं की उदासीनता

जब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का समय आता है मतदाता अक्सर ही उदासीनता बरतते हैं और स्वयं अपनी पहल पर नाम दर्ज कराने के लिए तत्पर नहीं दिखते। इसका कारण उनके बीच मतदान संबंधी तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है।

०३ काम पर जाने वाले मतदाताओं का घर पर न पाया जाना

जब मतदाता सूची के नाम दर्ज करने के लिए चुनाव अयोग के कर्मचारी घर पर आते है तो देखने में यह आता है कि केवल गृहणियाँ या बच्चे ही उन्हें मिलते हैं। पुरुष आमतौर पर काम पर बाहर गए होते हैं। इस कारण भी कम्रचारियों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और कई बार ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाता।

०४ राजनीतिक दलों की उदासीनता :

राजनीतिक दल जो कि चुनाव प्रणाली का मुख्य आधार होते हैं मतदाता सूची में कोई विशेष रुचि नहीं दर्शाते। उनका अधिक ध्यान लोगों को अपने चुनावी प्रचार से प्रभावित करने पर होता है। कभी-कभी जब कोई दल इसमें रुचि लेता भी है तो उसकी दिलचस्पी मात्र इस बात में होती है कि उसके समर्थक मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं कि नहीं। आम मतदाता से उसका विशेष सरोकार नहीं होता। स्वार्थी तत्व यह भी कोशिश करते हैं कि उनके विरोधी पक्ष के समर्थकों के नाम अधिक कट ज़ाएं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि पूरी की पूरी बस्ती या गाँव ही मतदाता सूची में दर्ज होने से रह जाते हैं।

०५ चुनाव से पूर्व झोंपड़पट्टी इलाक़ों का फैलाव:

विशेषकर बड़े शहरों में हर साल गाँवों से रोज़गार की तलाश में आने वाले लोग झोपड़पट्टियाँ बसा लेते हैं। इसलिए इन शहरों की आबादी हर वर्ष सामान्य से अधिक तेज़ी से बढ.ती जाती है। मतदाता सूचियाँ तैयार करते समय इन लोगों के नाम दर्ज करने में समस्या आती है। अक्सर मतदाता सूचियाँ तैयार करने वाले कर्मचारी इन इलाक़ों में जाने की ज़हमत नहीं उठाते। स्वयं ये लोग भी जानकारी के अभाव में अपने नाम दर्ज कराने में कोई रुचि नहीं दर्शाते।

०६ ग़लत नामों का दर्ज होना :

भारत जैसे विशाल जनतंत्र में मतदाताओं के ठीक-ठीक नामों के साथ सूची बनाना वास्तव में एक कठिन कार्य है। अक्सर ही निहित स्वार्थी तत्व ग़लत नाम दर्ज कराने का प्रयास करते हैं और कई बार वैधानिक मतदाताओं का नाम सूची में शामिल होने से रह जाता है। कभी विदेशी नागरिकों की समस्या सामने आती है तो कभी अप्रवासी भारतीय मतदाताओं की। ऐसा भी देखने में आया है कि अवयस्कों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए जाते हैं या मृत लोगों को भी मतदाताओं में शामिल कर लिया जाता है। कई लोगों के नाम दो-दो, तीन-तीन बार मतदाता सूची में दर्ज हो जाते हैं और मतदाताओं के नाम, उम्र आदि संबंधी विवरण ग़लत दर्ज कर लिए जाते हैं। ऐसी ग़लतियों को रोकने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

०७ सक्षम अधिकारियों का अभाव:

मतदाता सूचियाँ तैयार करने और इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए आमतौर पर स्कूल के अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर काम पर रखा जाता है। क्योंकि चुनाव आयोग

के प्रति इन कर्मचारियों की जवाबदेही अस्थाई होती है इसलिए वे लगन के साथ काम नहीं करते। उनके ऊपर काम करने वाले अधिकारी भी काम के प्रति चालू रवैया अपनाते हैं। इस तरह चुनाव आयोग के पास सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की हमेशा कमी होती है। इस समस्या को तभी दूर किया जा सकता है जब इन कर्मचारियों और अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी ठोस जवाबदेही निर्धारित की जाए। पर इस संबंध में अभी कोई ठोस प्रावधान नहीं बनाया गया है।

०८ मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन न किया जाना

आमतौर पर मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों के प्रकाशन की व्यवस्था है मगर अक्सर देखा गया है कि ऐसा नहीं होता जिसके कारण आम आदमी यह नहीं जान पाता कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो पाया है या नहीं। इस जानकारी के अभाव में वह अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश भी नहीं करता और वह अपने वोट के अधिकार से वंचित रहा जाता है।

०९ दावों और आपत्तियों के लिए फ़ार्म उपलब्ध न होना:

अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में ग़लत दर्ज हो गया है या दर्ज ही नहीं हुआ है तो उसे एक विशेष फ़ार्म पर अपने दावों या आपत्तियों के लिए आवेदन देना होता है। इसके लिए उन्हें निर्धारित फ़ार्म भरने पड़ते हैं जिसका प्रावधान चुनाव नियमावली में तो होता है पर फ़ार्म उपलब्ध नहीं रहते। ऐसी स्थिति में दावे करने या आपत्ति उठाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि उसे आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं किया जाता। वैसे जो दावे और आपत्तियाँ दर्ज भी किए जाते हैं उन पर विशेष ध्यान न देकर उन्हें सरसरे तौर पर निपटा दिया जाता है।

१० नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों का विश्वसनीय न होना :

बहुत से मतदाताओं के पास अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लए विश्वसनीय दस्तावेज़ नहीं होते। इन दस्तावेज़ों की छानबीन में काफ़ी समय लगता है। कई बार विदेशी नागरिक मतदाताओं की सूची में शामिल हो जाते है और उनका पता लगाना कठिन होता है। इस संबंध में नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों की छानबीन के लिए अलग से एक क्रियाविधि बनाए जाने की ज़रूरत है।

११ अपेलिट (अपील) अधिकारी का उपलब्ध न होनाः

मतदान सूची संबंध गड़बड़ियों के मामले में जब किसी को कोई शिकायत या आपत्ति होती है तो उसे इस संबंध में संबंधित अधिकारी के पास अपील करनी होती है। पर यह काम आसान नहीं होता क्योंकि वह अधिकारी या तो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता या उस तक अपनी बात पहँचाने के लिए शिकायतकर्ता को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। कई बार मतदाताओं को इसकी जानकारी तक नहीं होती कि किस अधिकारी के पास शिकायत भेजनी है। इस कारण भी वह अपील करने से वंचित रह जाता है और ग़लत मतदाता सूची के आधार पर ही मतदान हो जाता है।

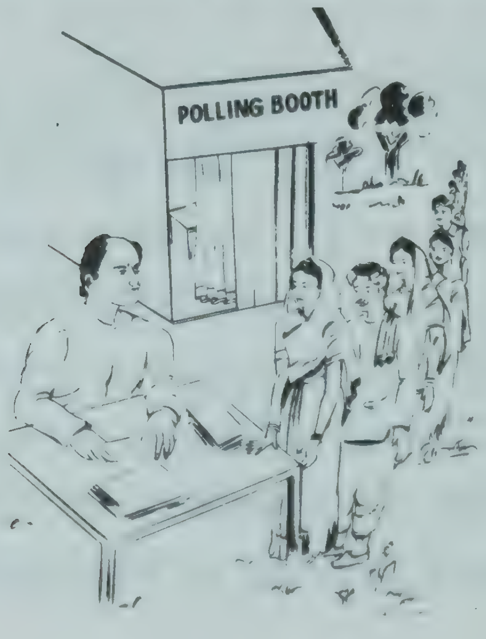

मतदान केंद्रों की स्थापना

मतदान केंद्र मतदाताओं, की सुविधा और सर्वोपरि स्थान की सुरक्षा को दृष्टि में रख कर बनाये जाते हैं। मतदान को बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं, जिनमें से एक मतदान केंद्र की स्थिति भी एक होती है। मतदान केंद्र की स्थिति भी उपद्रव और हिंसा का कारण बन सकती है।

०१ कमज़ोर तबक़ों को दूसरों के साथ मतदान केंद्रों के अंतर्गत लाना:

कमज़ोर तबक़ों के लिए अलग मतदान केंद्रों की बजाय उन्हें दूसरों के साथ मतदान केंद्रों के अंतर्गत शामिल करने से अनेक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं जैसे अन्य तबक़ों के लोग मतदान के दौरान कमज़ोर तबक़ों के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जिससे वे स्वतंत्र और निर्भय होकर मतदान नहीं कर पाते।

०२ संपन्न बस्तियों में कमज़ोर तबक़ों के लोगों के लिए मतदान केंद्र बनाना:

कमज़ोर तबक़ों के लिए मतदान केंद्र यदि उन्हीं के क्षेत्र में हो तो उचित होता है। एक तो इसलिए कि उन्हें मतदान के लए दूर नहीं जाना पड़ता और दूसरे अन्य तबक़ों के निहित स्वार्थों के प्रभाव से

वे बचे रहते हैं। संपन्न बस्तियों में कमज़ोर तबक़ों के लोगों के लिए मतदान केंद्र बनाने से यह ख़तरा लगातार बना रहता है कि संपन्न लोग उनकी मतदान प्रक्रिया में बाधा डालेंगे या उन्हें प्रभावित करेंगे। कई बार कमज़ोर तबक़ों को डरा- धमका कर मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

०३ निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर मतदान केंद्र बनानाः

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान केंद्र एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए। किंतु देखा जाता है कि कभी कभी मतदान केंद्र इस तरह बनाए जाते हैं कि कुछ मतदाताओं को वहाँ तक पहुँचने में दिक़्क़त आती है और इस कारण उनमें से कई मतदान करने ही नहीं जाते। अतः मतदान केंद्र निर्धारित दूरी पर ही होने चाहिए। कभी-कभी मतदान केंद्र ऐसी जगहों पर स्थित होते है जहाँ पहुँचने के लिए सड़क तक नहीं होती। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में बहुत से मतदाता मतदान से वंचित रह जाते है।

०४ असुविधाजनक मतदान केंद्र भवनः

मतदान केंद्र मतदान कार्य की दृष्टि से सुविधाजनक होने चाहिए, जिनमें चुनाव कर्मचारियों के कार्य के लिए पर्याप्त जगह हो और मतदाताओं के आने-जाने तथा लाइन में खड़े होने की सुविधा हो। मगर कई बार ऐसा नहीं होता। भीड़-भाड़ वाले मतदान केंद्रों में गड़बड़ी होने की अधिक आशंका रहती है।

०५ एक ही भवन में कई मतदान केंद्रों का होनाः

कभी-कभार ऐसा भी होता है कि स्थानाभाव के कारण किसी एक

बड़े भवन में एक से अधिक मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं। इसमें मतदाताओं को तो असुविधा होती ही है कई बार एक मतदान केंद्र के मतदाता दूसरे मतदान केंद्र के मतदाताओं के साथ मिल जाते है। इसके अलावा, प्रशासनिक दृष्टि से भी यह असुविधाजनक होता है।

०६ मतदान केंद्र में अंतिम समय में परिवर्तन :

कहीं-कहीं मतदान कम होने का यह भी एक कारण होता है कि अंतिम समय में मतदान केंद्र की जगह बदल दी जाती है। मतदान केंद्र में किसी भी तरह के बदलाव की सूचना मतदाताओं को यदि समय दे दी जाए तो इस स्थिति से बचा जा सकता है।

०७ राजनीतिक दलों के कार्यालयों के निकट मतदान केंद्रों का होना:

नियमत: किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के कार्यालय की दूरी मतदान केंद्र से २०० मीटर की होनी चाहिए, मगर कई बार इसका उल्लंघन होते देखा गया है। ऐसी स्थिति में जब मतदान केंद्र राजनीतिक दलों के कार्यालयों के निकट हों, बराबर यह आशंका बनी रहती है कि कही राजनीतिक दल मतदान को प्रभावित न कर दें। वे कुछ मतदाताओं के लिए मतदान में अड़चन भी पैदा कर सकते हैं और अपने प्रभाव वाले मतदाताओं से फ़र्ज़ी मतदान कराने का प्रयास भी कर सकते हैं। यही नहीं वे मतदान केंद्र में चुनाव प्रचार करने और चुनाव अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकते हैं।

०८ अस्थाई तौर पर बनाए गए मतदान केंद्र:

ऐसे मतदान केंद्र अक्सर पक्के नहीं होते और सुरक्षा की दृष्टि से भी

ठीक नहीं होते। मतपेटियों की चोरी और फ़र्ज़ी मतदान ऐसे ही मतदान केंद्रों में अधिक होता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि मतदान केंद्र पक्के तथा सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थान पर ही बनाए जाएँ।

मतदान से पूर्व आने वाली दिक़्क़तें

मतदान-पूर्व का दौर चुनाव प्रिक्रिया में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं - अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी हितपूर्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं, आदि।

०१ असुविधाजनक अधिकारियों का तबादला और प्रमुख पदों पर अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति :

सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव घोषणा से पूर्व ही प्रमुख पदों पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है जिनसे जैसा चाहे वैसा कार्य करवाया जा सके। ऐसे में चुनावों में गड़बड़ी करने की आशंका और प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही ऐसे रिटर्निंग ऑफ़िसरों और जिला चुनाव अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है जिनसे मनमाने तौर पर काम नहीं कराया जा सकता।

०२ चुनाव ये ठीक पहले नई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का उद्घाटन:

राजनीतिक दल चुनाव से ठीक पहले नई-नई योजनाएँ और कार्यक्रम

सामने लाते हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करना होता है। जिस राजनीतिक दल या प्रत्याशी ने साल भर काम न किया हो वह भी अगर चुनाव से ठीक पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है तो मतदाता उस पर ज़रूर ग़ौर करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि पहले से अपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जान बूझकर इस तरह विलंब किया जाता है कि वे चुनाव के समय से थोड़ा पहले ही पूरी हों। इस तरह सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या प्रत्याशी परियोजनाओं को पहले तो खटाई में डालते हैं और फिर उन्हें अपने चुनावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।

०३ सुरक्षा-कर्मियों की कमी के कारण चुनाव प्रक्रिया का लंबा होना:

चुनाव में सुरक्षा-कर्मी अहम भूमिका निभाते हैं। चुनावों के कार्यक्रम तय करते समय सुरक्षा-कर्मियों की संख्या और उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार यह देखने में आता है कि पर्याप्त संख्या में अलग स्थानों पर अलग-अलग समय में चुनाव करवाने पड़ते हैं जिसमें अन्यथा विलम्ब होता है।

०४ अनावश्यक रूप से कई चरणों में मतदान:

कई बार ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में भी चुनाव कई चरणों में कराये जाते हैं जहां चुनाव आसानी से एक ही दौर में पूरे किये जा सकते हैं। कई चरणों में चुनाव कराने में चुनाव पर खर्चा अधिक आता है और एक चरण के मतदान का दूसरे चरण के मतदान पर प्रभाव पड़ता है।

०५ डमी उम्मीदवार :

राजनीतिक दल या उनके प्रत्याशी कई बार डमी उम्मीदवार खड़ा

करके विरोधी को हराने के लिए उसका लाभ उठाना चाहते हैं। डमी उम्मीदवार खड़ा करने का उद्देश्य होता है विरोधी उम्मीदवार के वोट बाँटना। कभी-कभी अंतिम समय में डमी उम्मीदवार को अपने पक्ष हटा लिया जाता है और लोगों को यह बताने की कोशिश की जाती है कि उनके उम्मीदवार के पक्ष में हवा है इसलिए उम्मीदवार हट रहे हैं। डमी उम्मीदवार आम तौर पर पैसा देकर तैयार किए जाते हैं। कभी कभी यह डमी उम्मीदवार चुनाव से ठीक पहले अपने असली उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव से पीछे हटने की घोषणा कर देता है। हर चुनाव में इस तरह के उम्मीदवार देखने को मिल जाते हैं। साथ ही पोलिंग बूथ पर तथा काउंटिग बूथ पर डमी उम्मीदवार के एजेंट बूथ तथा मतगणना को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है इसलिए भी डमी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। विरोधी उम्मीदवार के नाम के डमी उम्मीदवार भी खड़े किये जाते हैं ताकि भ्रम में आकर उसके पक्ष के मतदाता डमी उम्मीदवार को मत दें और इस तरह उसके मत बंट जाएं।

०६ कमज़ोर उम्मीदवारों के नामांकन को रोकना:

स्वतंत्र देश में किसी भी वयस्क व्यक्ति को चुनाव लड़ने की छूट है मगर कई बार देखा गया है कि प्रत्याशी को दी जाने वाली सुविधाओं को लेने के लिए या प्रतिष्ठा के ख़्याल से या राजनैतिक दलों से लाभ कमाने की नीयत से या अपनी ही पार्टी को सबक़ सिखाने के लिए कई कमज़ोर उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं जिसके कारण कई तरह की कठिनाइयां आती हैं जैसे मतपत्रों का आकार बड़ा होना, एजेंटों की अधिकता, मतगणना प्रक्रिया में जटिलता इत्यादि। इन सबके कारण भारत जैसे देश में जहाँ की बड़ी आबादी अनपढ़ है ओर कई बार चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे उम्मीदवारों को रोकना एक बड़ी समस्या है। इससे चुनाव की गंभीरता भी कई बार प्रभावित हो जाती है।

०७ घूसख़ोरी और पैसा देकर दल-बदल कराना:

पैसा देकर दल-बदल कराने की घटनाएँ हमारे देश में आम हैं। चुनाव के बाद विधायक दल की ख़रीद-फ़रोख़्त तो होती ही है, चुनाव से ठीक पहले भी इस तरह से दल-बदल रचाए जाते हैं जिससे विरोधी दल के चुनाव प्रदर्शन पर उलटा असर पड़े। आपको अक्सर सुनने में आता होगा कि चुनाव के लिए नामांकन से ठीक पहले अमुक व्यक्ति अपना दल छोड़ कर अमुक दल में शामिल हो गया है। यह सब राजनीतिक दलों द्वारा पैसे तथा लालच देकर कराया जाता हे। ऐसे व्यक्ति क्योंकि स्थानीय रूप से प्रभावशाली होते हैं अत: विरोधी दल को तत्काल कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिल पाता जिससे उसकी चुनावी स्थिति ख़राब हो जाती है।

०८ अच्छे लोगों का चुनाव न लड़ना:

आपने देखा होगा कि बहुत-से लोग स्थानीय रूप से प्रभाव तो रखते हैं तथा लोगों के बीच सार्वजनिक जीवन में उनका काफ़ी सम्मान भी होता है, पर वे राजनीति और चुनावों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। चुनाव से धन-बल के अधिकाधिक प्रयोग के कारण भी अच्छे लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं या कुछ धनाभाव के कारण चुनाव लड़ पाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र में आपको बहुत-से ऐसे लोग मिल जाएँगे जिन्होंने जीवन भर काम तो जनता के लिए किया पर संसद या विधान सभाओं में कभी उसकी नुमाइंदगी नहीं की। इसका कारण कदाचित यह है कि चुनावी राजनीति आज इस कदर दूषित और कीचड़-उछालू हो चुकी है कि बहुत-सी सार्वजनिक हस्तियों के लिए उसमें पाँव रखना भ्रष्टाचार के दलदल में पाँव रखने जैसा होता है। इस तरह अच्छे लोगों के चुनाव राजनीति में न उतरने से हमारी चुनावी राजनीति दूषित बनी रहती है।

०९ जाति और धार्मिक समुदायों के आधार पर प्रत्याशी खड़े करना:

इधर जाति और धर्म हमारी राजनीति से इस सीमा तक प्रवेश कर चुके हैं कि चुनाव लड़ते समय इन तथ्यों पर हमेशा ग़ौर किया जाता है कि कौन-से चुनाव क्षेत्र में किस जाति या धर्म के लोग अधिक हैं, कि विरोधी दल किस जाति या धर्म के उम्मीदवार को खड़ा कर रहा है, कि कौन-सी जातियों और धर्मों के उम्मीदवार आपस में एक-दूसरे के वोट काट रहे हैं। इन्ही सारे तथ्यों के आधार पर उम्मीदवार तय किया जाता है। यह न केवल हमारे धर्मनिरपेक्ष ओर जनतांत्रिक तानेबाने के लिए घातक है, बल्कि जनता की सही समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने वाले उम्मीदवारों को आगे आने से भी रोकता है और जनता को जाति व धर्म के आधार पर बाँटता है।

१० मृत्यु शैय्या पर पड़े पार्टी उम्मीदवार का नामांकन:

यह चुनावों को काउंटरमेंड (रद्द) करने का राजनीतिक दलों का एक हथकंडा है। मृत्यु शैय्या पर पड़े उम्मीदवार की जब चुनाव प्रचार के दौरान या उसके बाद मृत्यु हो जाती है तो चुनाव स्थगित करना पड़ता है। इससे संबंधित दल को लाभ पहुँचता है क्योंकि उसे मरे हुए उम्मीदवार के पक्ष में सहानुभूति लहर का फ़ायदा मिल जाता है। अक्सर मृत व्यक्ति के परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है। इस तरह राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए किसी की मृत्यु तक का लाभ उठाने से नहीं चूकते।

११ प्रस्तावकों के जाली हस्ताक्षर के साथ नामांकन:

नामांकन के समय प्रस्तावक के न मिलने पर अक्सर किसी व्यक्ति के प्रस्तावक के रूप में फ़र्ज़ी हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं। इस जालसाज़ी को रोकने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।

१२ एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से नामांकन :

यह अधिकार हमारी चुनाव प्रणाली में निहित है। पर यह प्रावधान चुनाव को ख़र्चीला बना देता है। मान लीजिए एक प्रत्याशी दो या तीन चुनाव क्षेत्रों से चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद वह केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। बाक़ी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फिर से चुनाव कराया जाता है जिस पर अतिरिक्त ख़र्चा आता है। यही नहीं जिन चुनाव क्षेत्रों को उसने ख़ाली किया होता है वहाँ भी उसके दल के उम्मीदवार को इसका लाभ मिलता है। ऐसे में कई बार उम्मीदवार ऐसी जगहों से भी चुनाव लड़ता है जहाँ न उसने काम किया होता है ओर न वह वहाँ के लोगों की समस्याओं से वाक़िफ़ होता है, सिर्फ़ राज्य या राष्ट्र स्तर पर अपनी लोकप्रियता या अपने दल की लोकप्रियता के बूते वह चुनाव जीतता है। पर व्यवहार में इसका अर्थ मतदाताओं को छलना भर है। इस समस्या से निपटने के लिए निर्वाचन कानून में संशोधन की ज़रूरत है।

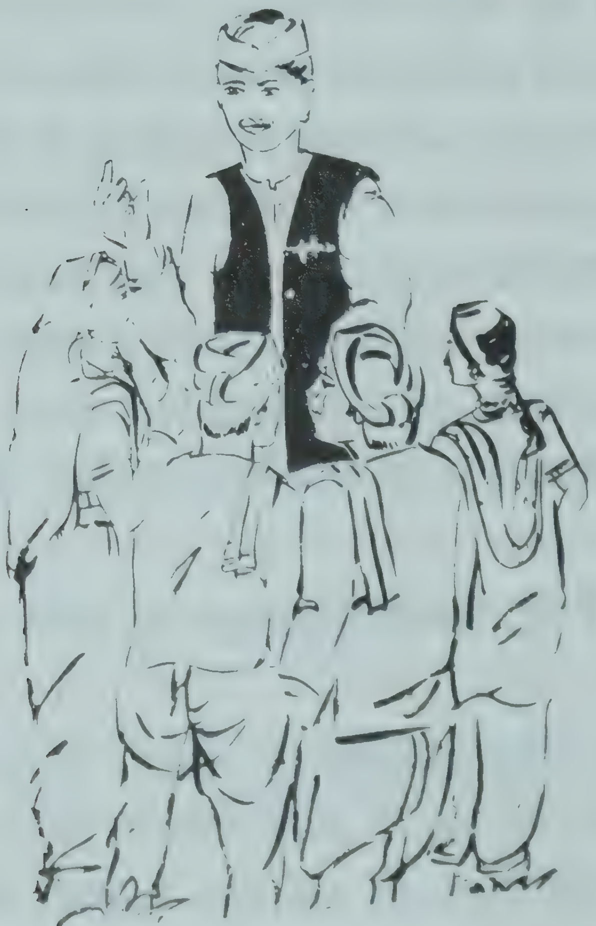

चुनाव-प्रचार के दौरान

यह सभी जानते हैं कि भारत की चुनाव प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। चुनाव प्रचार में काले धन, अपराधी तत्वों और अवैध हथियारों का इस्तेमाल एक आम बात है। इसके लिए लगभग सभी राजनीतिक दल दोषी हैं।

०१ चुनाव प्रचार में फ़िज़ूलख़र्ची :

हमारे देश में चुनाव प्रचार पर अंधाधुंध पैसा ख़र्च किया जाता है। इतना पैसा किसी भी अन्य देश के चुनावों में ख़र्च नहीं किया जाता। वाहनों का प्रयोग, बड़े-बड़े कट आउट लगाना, पर्चेबाज़ी, मतदाताओं के बीच शाल, कंबल और साड़ियाँ वितरित करना, ख़ास कर निम्न आय समूह वाली बस्तियों में शराब की बोतलें बँटवाना, अन्य उम्मीदवारों को पैसा देकर नाम वापस लेने के लिए दबाव डालना – इन सारे कामों पर राजनीतिक दल जो पैसा ख़र्च करते हैं, वह कई बार लाखों नहीं, करोड़ों में होता है। यह पैसा चाहे उनका अपना हो, या उन्हें काले धन के रूप में मिला हो, है तो राष्ट्रीय संपदा ही। इसके पीछे धारणा यह है कि चुनाव में जो जितना अधिक धन ख़र्च करेगा, उसके जीतने के आसार उतने ही अधिक होंगे। और यह बात दुर्भाग्यवश कुछ हद तक सही भी है। ऐसे में जो उम्मीदवार अधिक पैसा ख़र्च नहीं कर पाता वह हार जाता है – फिर चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो। यह नियमत गलत है। एक ख़ास रक़म में ज़्यादा

पैसा ख़र्च करना न तो नैतिक रूप से ठीक है बल्कि नियमतः भी ग़लत है। इस संबंध में नियमों को और कठोर बनाने की ज़रूरत है।

०२ राजनीतिक दलों द्वारा ख़र्चे का हिसाब-किताब न रखनाः

चुनाव की अंधी दौड़ में किसे ख़बर कि चुनाव के ख़र्चे का हिसाब-किताब रखे। और यदि कोई दलीय प्रत्याशी रखना भी चाहे तो रखे कैसे? चुनाव-प्रचार में लगा अधिकतर पैसा तो काला धन होता है जो उद्योगपतियों और अन्य निहित स्वार्थों द्वारा दिया जाता है। यह पैसा इस तरह एकत्र किया और बहाया जाता है कि कई बार खुद प्रत्याशी को मालूम नहीं होता कि पैसा आ कहाँ से रहा है और ख़र्च कहाँ हो रहा है। चुनाव आयोग की यह पेशकश कि हर प्रत्याशी प्रतिदिन के ख़र्चे का हिसाब देगा, एक स्वागतयोग्य कदम है।

०३ निजी सुरक्षा कर्मचारियों का दुरुपयोग :

चुनावों के समय प्रत्याशी सुरक्षा कर्मचारियों का प्रयोग दूसरों को डराने-धमकाने और अन्य कामों के लिए करते हैं जबकि सरकार उन्हें सुरक्षा कर्मचारी केवल उनकी निजी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराती है। ऐसे लोगों को कठोर नियम बनाकर रोकना चाहिए।

०४ मतदाताओं, प्रत्याशियों आदि को डराना धमकाना :

आज भी हमारे देश में विशेषकर कमज़ोर तबक़ों के मतदाता निर्भय होकर मतदान नहीं कर पाते। उन्हें विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की धमकियों का सामना करना पड़ता है। देश के दूरदराज के बहुत से क्षेत्रों में तो स्थिति यह है कि यह पता चलने पर कि अमुक बस्ती से मतदान अपने पक्ष में नहीं होगा, पूरी की पूरी बस्ती को मतदान

करने से रोक दिया जाता है। प्रत्याशियों के लठैत और बंदूकधारी उन्हें घरों से बाहर तक नहीं निकलने देते। कभी कभी विरोध पक्ष के उम्मीदवार पर भी नामांकन वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता है। राजनीतिक दलों की धौंसपट्टी के चलते बहुत से उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में अपना भाग्य आज़माने से वंचित रह जाना पड़ता है।

०५ गुंडों और बदमाशों का प्रयोग :

चुनाव के दौरान गुंडा तत्वों की बन आती है। अधिकांश प्रत्याशी इस फ़िराक़ में रहते हैं कि इलाक़े के अधिक से अधिक दादा लोग उनके शिविर में रहें। गुंडा तत्वों और बदमाशों को अपने पक्ष में लाने के लिए बेइंतहा पैसा ख़र्च किया जाता है। कई राज्यों में तो ऐसे उदाहरण भी देखने में आए हैं कि अपराधी तत्वों को किसी न किसी बहाने जेल से छुड़वा कर चुनाव के काम पर लगा दिया जाता है। चुनावों में मार पिटाई, गोलीबारी और दूसरी तरह की हिंसा आम बात है। हिंसा और जवाबी हिंसा के लिए ही इस अपराधी तत्वों का मुख्यतः उपयोग किा जाता है। चुनावों के दौरान काम करने वाले इन पेशेवर अपराधियों में से अधिकतर की कोई राजनीतिक वचनबद्धता नहीं होती। जो उन्हें अधिक पैसा देता है वे उसी के लिए काम करते हैं।

०६ सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों आदि में उपद्रव फैलानाः

चुनाव प्रचार इस हद तक नकारात्मक होता है कि अपनी बैठकों, जन-सभाओं और जन-लामबंदी पर ध्यान देने की बजाय विरोधी पक्ष द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनों में उत्पात मचाने की कोशिश की जाती है। कई प्रत्याशी और राजनीतिक दल विरोधी दल की बैठकों में अपने लोग बिठा देते हैं जो भाषणों के दौरान लगाता हूटिंग करते हैं। कभी-कभी प्रदर्शनों आदि को अस्त-व्यस्त और

तितर बितर करने के लिए बम और गोलियों तक का प्रयोग किया जाता है।

०७ पोस्टर और कट-आउट फाड़ना और ग़लत पोस्टर चिपकाना :

राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के चुनाव-कार्यकर्ताओं का एक अहम काम विरोधी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के पोस्टरों को फाड़ना होता है। यह काम रात में किया जाता है। इसके अलावा विरोधी को बदनाम करने के लिए ग़लत नाम से ग़लत पोस्टर चिपकाए जाते हैं। इसमें प्रिंट लाइन तक नहीं दी जाती जो कि कानूनी तौर पर अवैधानिक है। कभी-कभी चुनावी दलों की भीतरी गुटबाज़ी का नज़ारा भी इस तरह के पोस्टरों के जरिये देखने को मिलता है। दल के असंतुष्ट लोग अपने ही प्रत्याशी के ख़िलाफ़ बेनामी पोस्टर चिपकवा देते हैं। इससे मतदाताओं को सही प्रत्याशी का चुनाव करने में कठिनाई होती है और कई लोग मिथ्या प्रचार का शिकार बन जाते हैं।

०८ सांप्रदायिक और जातीय प्रचार :

सांप्रदायिकता और जातिवाद आज हमारी राजनीति का अभिन्न अंग बन चुके हैं। उम्मीदवार का चुनाव जाति के आधार पर किया जाता है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में किसी ख़ास जाति के लोग अधिक हैं तो उसी जाति का उम्मीदवार चुनाव में ख़ड़ा किया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति या धर्म के लोग अधिक हैं उस क्षेत्र में उस जाति या धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार किया जाता है। जो उम्मीदवार अपने जातिनाम का अन्यथा प्रयोग नहीं करते, चुनाव के समय वे अवश्य अपने जाति नाम का प्रयोग करते हैं। ऐसे दलों और प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित रखने के लिए नियम बनाने की ज़रूरत है।

०९ तथाकथित सरकारी काम से अति विशिष्ट जनों (वी.आई.पी.) का दौराः

चुनाव प्रचार के लिए अति विशिष्ट जनों से सरकारी दौरे कराए जाते हैं। मसलन चुनाव से कुछ समय पूर्व कोई मंत्री अचानक किसी पुल या सार्वजनिक सभा का उद्घाटन करने आ धमकता है, जबकि वैसे वह उस तरफ़ झाँकता तक नहीं। इससे उसकी पार्टी के प्रत्याशी को लाभ पहुँचता है। यह भी नियमतः ग़लत है।

१० सरकारी संपत्ति का चुनाव के लिए उपयोग :

राज्यों में सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी रेस्ट हाउसों का चुनाव कार्यालयों के रूप में उपयोग आम बात है। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर जब चुनाव सभाएँ आयोजित की जाती हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि इनसे उस जगह को क्या नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी एयरक्राफ़्टों, हैलीकॉप्टरों और अन्य सरकारी वाहनों का प्रयोग तो सत्तारूढ़ दल के मंत्री गण और पदाधिकारी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इन पर ख़र्च सरकारी कोष से होता है जबकि काम पार्टी का प्रचार होता है।

११ लाउडस्पीकरों और अन्य यंत्रों का दुरुपयोगः

लाउडस्पीकरों के बिना शायद भारत में चुनाव-प्रचार हो ही नहीं सकता। पर इनका इतना अंधाधुंध प्रयोग होता है कि ये सार्वजनिक शांति को भंग कर देते हैं। यहाँ तक कि रात के दौरान भी लाउडस्पीकर पर प्रचार किया जाता है। देर रात तक चलने वाली जनसभाओं में लाउडस्पीकरों का प्रयोग आम लोगों की शांति में ख़लल डालता है। नियमतः रात के ११ बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजने चाहिए, मगर पुलिस या आम सरकारी कर्मचारी इसे रोकने की कोशिश नहीं करते।

POL-100

 04533

COMMUNITY HEALTH CELL LIBRARY AND DOCUMENTATION UNIT

मतदान के दौरान

मतदान का दिन चुनाव का अंतिम और निर्णायक दिन होता है। इसी दिन उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदान केंद्रों पर कब्जे, जाली मतदान, वाहनों के दुरुपयोग आदि के ज़रिये मतदान को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते हैं।

०१ मतदाता केंद्रों पर कब्जा

मतदान के समय लाठी-गोली के ज़ोर पर मतदान केंद्रों पर कब्जा करना हमारी चुनाव प्रणाली की विशेषता बन चुका है। विशेषकर देहातों में, जहाँ पुलिस बल का अधिक तगड़ा इंतज़ाम नहीं होता, विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा किराए पर तैनात किए गए अपराधी तत्व मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं और अपने प्रत्याशी के नाम पर मतदान पत्रों पर मोहर मार देते हैं। मतदान कर्मचारी विवश होकर देखते रह जाते हैं, मतदान के लिए जब लोग आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनका मतदान तो हो चुका है। कभी-कभी मतदान केंद्र पर बड़े गुपचुप तरीक़े से कब्जा किया जाता है और किसी को कानों कान ख़बर तक नहीं लगती। कई बार मतदान केंद्रों पर सीधे कब्जा करने की बजाय इस तरह भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है कि संभावित विरोधी मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर ही नहीं जाने दिया जाता।

०२ पुलिस बल और केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निष्क्रिय करना

मतदान को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों के चुनाव कार्यकर्ता ऐसी स्थितियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे पुलिस बल निष्क्रिय हो जाए और केंद्रीय पर्यवेक्षक अपना काम न कर सकें। कभी कभार इस उद्देश्य से ऐसे उत्पाती तत्वों को काम पर लगाया जाता है जो पुलिस बल का ध्यान दूसरी ओर लगा देते हैं।

०३ वाहनों का दुरुपयोग :

वैसे तो मतदान के दिन मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए और चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के प्रयोग पर रोक होती है, पर व्यवहार में इसके ठीक उलटा होता है। प्रत्याशियों के कार्यकर्ता खुले आम हथियारों और चुनाव सामग्री से लैस होकर वाहनों में घूमते देखे जाते हैं और निजी प्रयोग के नाम पर मतदाताओं को वाहनों में भर-भर कर मतदान केंद्रों तक पहुँचाया जाता है।

०४ जाली मतदान :

हमारे देश में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतदान बड़े धड़ल्ले से होता है, पर इसके कुछ ही मामले सामने आ पाते हैं। जाली मतदान सुबह-सुबह मतदान आरंभ होने के समय ही करा दिया जाता है ताकि असली मतदाता मतदान न कर सके। आम तौर पर भारतीय मतदाता शांत प्रवृत्ति का होता है और अपने मतदान के अधिकार पर अधिक ज़ोर नहीं देता, इसलिए वह लिखित में शिकायत करने से हिचकिचाता है। जाली मतदान को लेकर प्रत्याशियों के मतदान केंद्रों पर बैठे प्रतिनिधि भी कई कारणों से अधिक आपत्ति नहीं कर पाते। स्थानीय सार्वजनिक कार्यकर्ता न होने के कारण वे स्थानीय लोगों को नहीं पहचान पाते।

०५ जन संचार माध्यमों का दुरुपयोग :

जन संचार माध्यमों का, विशेष कर सरकारी जन संचार माध्यमों का चुनावों के दौरान बड़ी चतुराई से दुरुपयोग किया जाता है। मसलन, सत्तारूढ़ दल अपनी सरकार/सरकारों द्वारा किए गए काम की ख़बरों को ही अधिक प्रस्तुत कराने का प्रयास करते हैं और अपने नेताओं की छवि को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करवाते हैं। विभिन्न प्रत्याशियों और दल अख़बारों के माध्यम से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, एक दूसरे के प्रत्याशियों के विरुद्ध ख़बरें प्लांट करवाने की कोशिश करते हैं। इससे जन संचार माध्यमों की निष्पक्ष छवि को तो नुकसान पहुँचता है, मतदाता भी भ्रमित होते हैं और सही निर्णय के चुनाव में उन्हें कठिनाई होती है।

०६ कानून और व्यवस्था की मशीनरी का दुरुपयोग :

केंद्र और विभिन्न राज्यों के सत्तारूढ़ दल चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था को अपने उम्मीदवारों के पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुलिस बल को ऐसी जगह से हटा लेना जहाँ अपने प्रत्याशी द्वारा गड़बड़ी की जाने की संभावना हो, विरोधी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर कठोरता से नज़र रखने के लिए पुलिस का ज़रूरत से अधिक प्रयोग, जहाँ दंगों या उत्पात से चुनावी लाभ मिल रहा हो, वहाँ ढील बरतना आदि।

०७ अवैध और बिना लाइसेंस के हथियारों और गोलाबारूद का प्रयोग :

चुनावी हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण अवैध और बिना लाइसेंस के हथियारों की उपलब्धता और उनका उपयोग है। कई राज्यों में तो लगभग हर प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है।

चुनाव से पहले ही इन अवैध हथियारों और गोलाबारूद को चोरी-छिपे एकत्र किया जाता है। चूँकि राजनीतिक दल स्वयं हिंसा करवाते हैं, अतः वैध हथियारों की मौजूदगी और ख़रीद-बिक्री पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं रहता। चुनावों के दौरान अवैध हथियारों के अड्डों पर पुलिस-बल के छापों की ख़बरें तो ज़रूर मिलती हैं, पर जो हथियार बरामद किये जाते हैं वे कुल अवैध हथियारों का छोटा-सा हिस्सा ही नहीं होते।

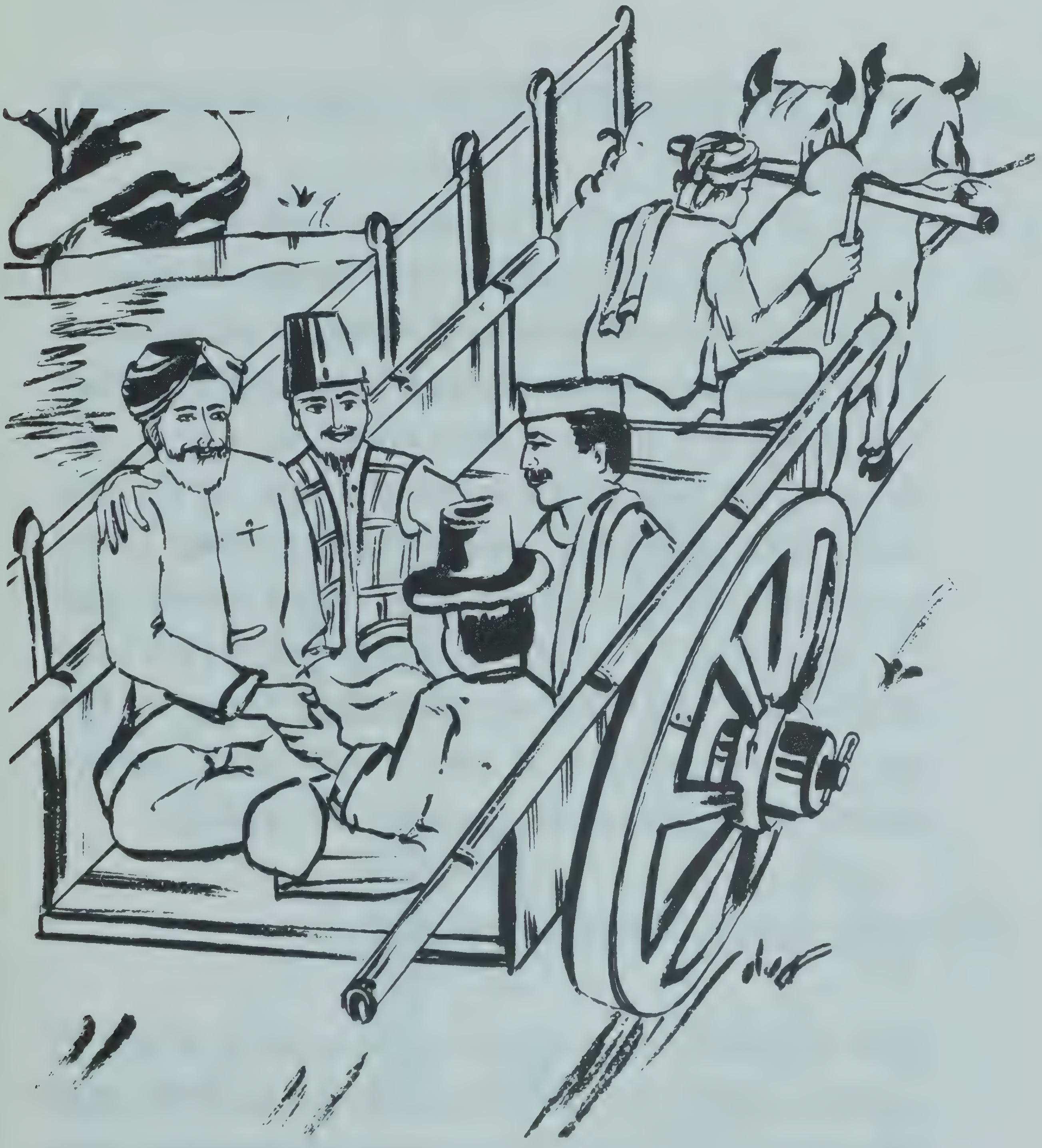

मतगणना, आदि सम्बन्धी गड़बड़ियां

०१ मतदान पत्रों को मनमाने तौर पर स्वीकार या अस्वीकार करना:

मतगणना के दौरान कर्मचारी निहित स्वार्थों के दबाव में आकर या कई बार अपनी ग़लत समझ के चलते कई मतदान पत्रों को मनमाने तौर पर स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं। मतदान पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रभाव अंतिम परिणाम पर पड़ता है, ख़ास कर जहाँ दो प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर बहुत कम हो। इसके अलावा परिणाम तालिका में ग़लत प्रविष्टियाँ डालने की भी कई घटनाएँ देखने में आती हैं। बिल्कुल अंतिम समय में मतगणना एजेंटों कि नियुक्ति से भी गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। ऐसे मामले भी सामने आते है कि मंत्रियों को मतगणना एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है। मतगणना एजेंट के रूप में मंत्री अक्सर मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

०२ चुनाव याचिका संबंधी गड़बड़ियाँ :

चुनाव याचिकाओं की सुनवाई न्यायालयों में काफ़ी देर से होती है। यह प्रक्रिया लंबी है। जब तक याचिकाओं पर कुछ फ़ैसला हो, काफ़ी समय बीत जाता है और फ़ैसले प्रभावी नहीं रह जाते। चुनाव

याचिकाओं का निबटारा करते समय भारतीय चुनाव आयोग को उसमें एक पक्ष नहीं बनाया जाता। चुनाव याचिका को निबटाने के प्रावधानों में हारे हुए प्रत्याशी द्वारा की गई गड़बड़ियों पर आम तौर पर विचार नहीं होता। यह मान लिया जाता है कि प्रत्याशी तो हार गया है, अतः उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है।

०३ मतदान के बाद मतदान सामग्री और रिकार्डों के रखरखाव में कुव्यवस्था :

मतदान रिकार्डों को सही रूप में व्यवस्थित करके नहीं रखा जाता। कई बार ज़रूरी रिकार्डों को नष्ट कर दिया जाता है। मतदान सामग्री का भी ठीक ढंग से रखरखाव नहीं होता, कारण कि इसको वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं अपनाई जाती। इससे हर बार नए चुनावों के समय अतिरिक्त सामग्री का प्रबंध करने की ७समस्या आती है और चनाव-ख़र्चा भी बढ़ जाता है।

पुनर्मतदान और स्थगित मतदान

०१ पुनर्मतदान की गलत सिफारिश :

कई बार पुनर्मतदान की जरूरत नहीं होती या पुनर्मतदान कराये जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होता तब भी पुनर्मतदान की सिफारिश कर दी जाती है। इससे संबंधित उम्मीदवारों के परिणाम पर विपरीत असर पड़ सकता है। इस तरह की सिफारिश किसी विशेष प्रत्याशी या दल को मदद करने के लिए की जाती है।

०२ पुनर्मतदान के समय कानून और व्यवस्था का ठीक प्रबंध न होनाः

पुनर्मतदान को अधिक महत्व देते हुए आम तौर पर कानून और व्यवस्था के प्रबंध की उपेक्षा कर दी जाती है। इससे पुनर्मतदान में पुनः गड़बड़ी होने की आशंका रहती है।

०३ पुनर्मतदान में पर्यवेक्षक की अनुपस्थितिः

पुनर्मतदान को चुनाव तैयारियों की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं दिया जाता और अक्सर उसके लिए पर्यवेक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में भी मतदान पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं।

चुनाव के बाद की गड़बड़ियाँ

०१ ईमानदार अधिकारियों का उत्पीड़न :

चुनावी गड़बड़ियाँ चुनावों के पूर्व और मतदान के समय तक ही सीमित नहीं रहतीं। मतदान के समय जब कई ईमानदार अधिकारी निष्पक्षता का परिचय देते हैं तो इसका प्रभाव किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के चुनाव परिणाम पर पड़ता है। ये प्रत्याशी या राजनीतिक दल बाद में बदले की भावना से प्रेरित होकर इन अधिकारियों को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हैं। या तो उनका ऐसी जगहों पर तबादला कर दिया जाता है जहाँ वे निष्प्रभावी हो जाते हैं या उन्हें खामखा परेशान करने के लिए उन पर आरोप मढ़ दिए जाते हैं और उनके विरुद्ध जाँच बिठा दी जाती है।

०२ चुनावी गड़बड़ियों के मामलों पर ध्यान देना :

चुनावों के बाद चुनावी गड़बड़ियों के मामलों को अधिक तूल नहीं दिया जाता। मतदान केंद्रों पर कब्जा आदि तक के आरोपों की ठीक से जाँच नहीं हो पाती। इसीलिए जो लोग एक चुनाव के समय अपराधों के लिए दोषी होते हैं वे आपको अगले चुनावों के समय भी वही अपराध करते हुए मिल जाँएगे। किसी ख़ास चुनाव क्षेत्र के चुनावों को तभी रद्द किया जा सकता है जब उसके लिए ठोस आधार

हों। लेकिन कई बार प्रमाण सहित याचिका देने के बावजूद चुनाव रद्द नहीं कराए जाते।

०३ मतदाताओं और चुनाव क्षेत्र के प्रति दुर्भावना :

जब कोई प्रत्याशी किसी चुनाव-क्षेत्र से चुनाव हार जाता है, पर उसका दल या वह स्वयं सत्ता में आ जाता है तो यह देखा गया है कि वह उस क्षेत्र के प्रति प्रतिशोधपूर्ण रवैये से काम करता है। यानी न तो उस क्षेत्र के विकास पर और न ही वहाँ की जनता की शिकायतों पर ध्यान देता है। कई विजेता प्रत्याशी भी उस क्षेत्र विशेष के मतदाताओं के संदर्भ में तब ऐसा ही रवैया अपनाते हैं जिस क्षेत्र से उन्हें मत नहीं मिलता। इसमें शक नहीं कि ऐसा उपेक्षापूर्ण रवैया उन समुदायों और जातियों के प्रति भी अपनाया जाता है जो विरोधी प्रत्याशी को मत देते हैं।

चुनाव प्रबंध की कमज़ोरियाँ

०१ मुख्य चुनाव आयुक्त, आदि की नियुक्तिः

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सरकार की सिफ़ारिश पर की जाती है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से उसकी नियुक्ति राजनीतिक होती है। राजनीतिक नियुक्ति कहीं न कहीं इस पद में निहित स्वायत्तता और निष्पक्षता को बाधित करती है। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी इसी तरह की जाती है। उन्हें कोई संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।

उपचुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान अधिकारियों के बीच से, की जाती है। ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि अमुक योग्यता-प्राप्त अधिकारी को ही उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। इस तरह केंद्र की सत्तारूढ़ दल की सरकार मनमाने तौर पर उप आयुक्त या अन्य आयुक्तों को नियुक्त करती है और जब चाहे तब हटा सकती है।

चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्वतंत्र सचिवालय नहीं होता। उसके सचिवालय कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग के पास अपने स्वतंत्र सेवा-

POL-100
04538
COMMUNITY HEALTH CELL
LIBRARY AND ...TATION

नियमों से अनुशासित कर्मचारी न होने से कार्य में कई संवैधानिक अड़चनें आती हैं। चुनाव के दौरान काम करने वाले मुख्य चुनाव अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफ़िसरों तथा कानून व व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारियों की निष्ठा पूरी तरह चुनाव आयोग के प्रति न होकर चुनाव आयोग और सरकार के बीच बँटी होती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग उन पर अपना अनुशासन पूरी तरह नहीं थोप सकता।

०२ चुनाव आयोग के अधिकार :

सत्तारूढ़ दल की सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले हस्तक्षेप को रोकने के लिए उसके पास ठोस वैधानिक अधिकार नहीं होते। दूसरे, चुनाव में धन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और दोषी चुनाव अधिकारियों को दंडित करने के संबंध में वर्तमान कानूनों की अपर्याप्तता और अप्रभावकारिता भी चुनाव आयोग के कार्य पर असर डालती है इस कानूनों को और कठोर तथा व्यापक बनाये जाने की जरूरत है।

निष्कर्ष

ऊपर बताए गए सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, यह हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि चुनाव उचित रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। हममें से जो भी इससे जुड़ा है निश्चित रूप से आगे आकर हर नागरिक को जागरूक बनाना चाहिए। चूंकि गैर सरकारी संगठनों का आम जनता के बीच काम करने का इतिहास रहा है अतः सभी से यह अपील है कि स्वैच्छिक संगठनों को इस क्षेत्र में बढ़कर भाग लेते हुए जागरूकता कायम करनी चाहिए तथा स्थिति के अनुसार मुकाबला करना चाहिए। हम सभी एक बेहतर प्रजातंत्र के अंग हैं अतः आइए, मिलकर इसे उत्तरोत्तर बेहतर बनाने में संलग्न रहें।

मतदाता के लिए यह जानना जरूरी है कि–

- चुनाव वर्ष की पहली जनवरी को जो भी 18 साल का होगा, वह वोट देने योग्य है।
- यदि आप वोट देने योग्य हैं तो तुरंत वोटर के रूप में अपना पंजीकरण कराएं।
- चुनाव संबंधी कार्यों के लिए कोई भी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।
- चुनाव की किसी भी गलत बात के लिए पोलिंग अधिकारी को सूचित करें।
- *गैर कानूनी है:*
  - धर्म व जाति कि नाम पर चुनाव प्रचार
  - वोट पड़ने के समय से 48 घंटे के बीच चुनाव प्रचार
  - पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अन्दर उम्मीदवार द्वारा शिविर लगाना
  - मतदाताओं को लाने के लिए उम्मीदवार द्वारा वाहन का प्रयोग
- हर दो किलोमीटर के क्षेत्र में मतदान केन्द्र होना चाहिए।
- आमतौर पर मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होता है।

वोट देना आपका संविधान-प्राप्त अधिकार है।
उसे पूरे विश्वास और सजगता के साथ प्रयोग कीजिए।

और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ लिख सकते है:
चुनाव आयोग, वानी या वीहाई

जनहित में संयुक्त रूप से प्रकाशित
वालंटरी हैल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया (वीहाई)
४० इंस्टिट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पीछे,
नई दिल्ली ११० ०१६
एवं
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
एच-१७/१, मालवीय नगर, नई दिल्ली ११० ०१७